भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3146
दिनांक 13, दिसम्बर 2024 को उत्तर के लिए

लड़कियों के लिए काउंसलिंग

3146. **श्री आदित्य यादवः**

क्या **महिला और बाल विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने लड़कियों को अल्पायु में ही करियर के विषय में मार्गदर्शन देने के लिए करियर काउंसलिंग शुरू करने के लिए कोई आवश्यक कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या लड़कियों को कोई ऐसा कौशल उपलब्ध कराया गया है, जो उन्हें अनौपचारिक निर्णय लेने का आत्मविश्वास प्रदान करे और युवा महिलाओं को अन्वेषण और खोज की प्रक्रिया में सहायता करने के लिए करियर रोल मॉडल भी उपलब्ध कराए; और
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) से (ग) : श्रम एवं रोजगार मंत्रालय (एमओएलई) देश में विभिन्न प्रकार की करियर संबंधी सेवाएं प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय करियर सेवा परियोजना (एनसीएसपी) क्रियान्वित करता है जैसे कि जॉब मैचिंग, करियर परामर्श, व्यावसायिक मार्गदर्शन, कौशल विकास पाठ्यक्रमों की जानकारी इत्यादि। इस पोर्टल पर पंजीकृत रोजगार चाहने वालों/अभ्यर्थियों को गुणवत्तापूर्ण परामर्श सेवाएं प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) पोर्टल पर करियर परामर्शदाताओं का एक नेटवर्क है। इसके अलावा, राष्ट्रीय करियर सेवा परियोजना के तहत विभिन्न जिला रोजगार कार्यालयों और संस्थानों में स्थापित मॉडल करियर केंद्रों के माध्यम से भी करियर परामर्श और व्यावसायिक मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है।

शिक्षा मंत्रालय का स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग (डोएसईएल) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के समन्वय से पूरे देश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए 2018-19 से प्रभावी समग्र शिक्षा योजना क्रियान्वित कर रहा है। यह स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में प्री-स्कूल से कक्षा XII तक का व्यापक कार्यक्रम है और इसका उद्देश्य स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर समावेशी और समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना है। समग्र शिक्षा का उद्देश्य सभी माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा को सामान्य शैक्षणिक शिक्षा के साथ एकीकृत करना; छात्रों की रोजगार-योग्यता और

उद्यमशीलता क्षमताओं को बढ़ाना, कार्य वातावरण के बारे में जानकारी प्रदान करना; और छात्रों में विभिन्न करियर विकल्पों के बारे में जागरूकता का प्रसार करना है ताकि वे अपनी अभियोग्यता, सामर्थ्य और आकांक्षाओं के अनुसार चयन कर सकें।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) द्वारा उद्यमिता विकास, प्रबंधन विकास, बाजार विकास, कौशल विकास इत्यादि क्षेत्रों में प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से क्षमता निर्माण की योजनाएँ भी क्रियान्वित की जा रही हैं जो उद्यमिता और कौशल विकास कार्यक्रमों के माध्यम से संचालित की जाती हैं। इन्होनें पिछले तीन वर्षों के दौरान देश भर में स्थित खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) प्रशिक्षण केंद्रों, टूल रूम, प्रौद्योगिकी/विस्तार केंद्रों के माध्यम से लगभग 3 लाख महिलाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इसके अलावा, केंद्र सरकार प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) के तहत महिलाओं और बालिकाओं को कौशल और व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करती है। सरकार ग्रामीण आबादी को डिजिटल साक्षरता प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (पीएमजीदिशा) भी क्रियान्वित कर रही है। इन योजनाओं ने महिलाओं और बालिकाओं को रोजगार और उद्यमिता के लिए आवश्यक कौशल प्रदान करने में सहायता की है।

बजट 2024-25 में घोषणा की गई प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना (पीएमआईएस) का लक्ष्य पांच वर्षों में शीर्ष 500 कंपनियों में एक करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करना है। इस योजना की शुरुआत के रूप में, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 03.10.2024 को 1.25 लाख इंटर्नशिप अवसर प्रदान करने के लक्ष्य के साथ योजना की प्रायोगिक परियोजना शुरू की गई है। यह योजना https://pminternship.mca.gov.in पर उपलब्ध ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है। पीएम इंटर्नशिप योजना इंटर्न को व्यवसायों या संगठनों के वास्तविक माहौल में प्रशिक्षण, अनुभव और कौशल प्राप्त करने का अवसर प्रदान करती है जो अकादमिक लर्निंग और उद्योग की आवश्यकताओं के बीच के अन्तराल को कम करने में सहायता करती है जिससे उनकी रोजगार क्षमता बढ़ाने में सहायता मिलती है। इसके अलावा, विभिन्न राज्य/संघ राज्य क्षेत्र महिलाओं और बालिकाओं का व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं। महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा और सशक्तिकरण के लिए संचालित व्यापक "मिशन शक्ति" योजना के अंतर्गत, 'सामर्थ्य' उप-योजना में संकल्प: एचईडब्ल्यू का घटक महिलाओं और बालिकाओं के लिए उपलब्ध योजनाओं और सुविधाओं के संबंध में सूचना और ज्ञान के अंतर को कम करने के माध्यम के रूप में कार्य करता है।

*****